सेवा में,

श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी
माननीय राष्ट्रपति, भारत सरकार,
नई दिल्ली।

द्वारा: पुलिस महानिरीक्षक (IG), सरगुजा रेंज, छत्तीसगढ़।

विषय: बलरामपुर जिले के 'कलयुगी मसीहा' व 'महान पुण्यात्मा' श्री विनोद अग्रवाल उर्फ मग्गू सेठ को कानून से ऊपर घोषित करने एवं उनके पीड़ितों को ही दण्डित करने बाबत।

महोदया,

सविनय और अत्यंत 'पीड़ा' के साथ मैं, जितेन्द्र कुमार जायसवाल (पत्रकार), निवासी नेहरू नगर, डिगमा, अम्बिकापुर, आपके संज्ञान में एक गंभीर विषय लाना चाहता हूँ। मैं पिछले दो दशकों से सरगुजा संभाग में पत्रकारिता कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने श्री विनोद अग्रवाल उर्फ मग्गू सेठ जैसी 'महान विभूति' नहीं देखी। मेरा निजी विचार है कि ऐसे व्यक्ति पर दर्जनों मुक़दमे होना उनके 'तेज' को कम नहीं करता, बल्कि यह तो उनकी 'कीर्ति' में चार चांद लगाता है।

अत: आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि निम्नलिखित "जनहितैषी" कार्यों को देखते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से समस्त अपराधों से मुक्त किया जाए:

1. स्वैच्छिक बलिदानी क्रशर:

संभाग में सैकड़ों क्रशर होने के बावजूद, वर्ष 2022 में यदि बरियों निवासी आदिवासी युवक शिव नारायण ने जीवन की अंतिम साँस लेने के लिए विशेष रूप से मग्गू सेठ के ही क्रशर को चुना, तो इसमें सेठ जी का क्या दोष? यह तो उस युवक का 'सौभाग्य' था। यह पुलिस की नासमझी है जो इसे अकल्पनीय मानती है।

2. आदिवासी भूमि का 'सदुपयोग':

मग्गू सेठ जी एक सच्चे समाजसेवी हैं। वे सामान्य वर्ग के होकर भी कमला देवी (पति रीझन, जाति नगेशिया) जैसी आदिवासी महिलाओं के नाम पर बेनामी संपत्ति खरीदकर उनका नाम रोशन कर रहे हैं। वे अपनी गाढ़ी कमाई जन हित के लिए आदिवासियों को जमीन दान कर रहे हैं, यह तो आधुनिक जमींदारी का एक 'पवित्र' स्वरूप है।

3. पहाड़ी कोरवाओं का 'पुनर्वास':

जिन्हें सरकार 'राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र' (पहाड़ी कोरवा/पंडो) कहती है, उनकी जमीनें हड़पकर मग्गू सेठ जी दरअसल बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। उनका उद्देश्य इन जनजातियों को शहरी भीड़-भाड़/गंदगी से दूर, वापस जंगलों और पहाड़ों/शुद्धता की ओर भेजना है जहाँ वे आदि काल से रहते आए हैं। इस 'नेक काम' के दबाव में यदि अपराध क्र. **103/2025** के तहत कोरवा/पंडों भैराराम जैसे लोग आत्महत्या कर लें, तो इसे मग्गू सेठ की गलती मानना घोर अन्याय होगा।

कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक
आवक दिनांक
सरगुजा रेंज (छत्तीसगढ़)

7

4. मुफ्त 'मुक्ति धाम' (मौत का कुआं):

सेठ जी ने मवेशियों और इंसानों की सुविधा के लिए ऐसे कई गहरे कुएं खुदवाए हैं जिनकी गहराई इंची टेप भी नहीं नाप सकते। यदि मवेशी वहां गिरकर और इंसान वहां फांसी लगाकर आत्महत्या कर रहे हैं, तो यह सेठ जी द्वारा उपलब्ध कराई गई 'अंतिम यात्रा' की निःशुल्क सुविधा है।

5. पुलिस और प्रशासन के साथ 'लुका-छिपी':

यह सेठ जी का बड़प्पन है कि वे और उनके भाई प्रवीण अग्रवाल "फरार" होकर भी जून/जुलाई 2025 में अपने घर में भव्य शादी सालगिरह मनाते हैं। हमारी होनहार छत्तीसगढ़ की पुलिस उन्हें देश-विदेश में ढूंढती रहती है और वे घर में दावत उड़ाते हैं। जिन पर हजारों का इनाम है, उन्हें न पकड़कर पुलिस ने यह साबित कर दिया है कि 'डॉन' को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यह पुलिस और अपराधी के बीच का 'अटूट प्रेम' है।

6. पत्रकारिता का 'शुद्धिकरण':

चूँकि भारत को आजाद हुए 77 वर्ष बीत जाने के बावजूद पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं किया गया जिसका आज तक रसूखदारों/भ्रष्टाचारियों/अपराधियों/माफियाओं द्वारा फायदा उठाया जा रहा है। इसका एक उदाहरण है कि यदि कोई पत्रकार सेठ जी जैसे लोगों की 'महिमा' का गुणगान नहीं करता, तो उन्हें वे अपने भाई व कई माध्यमों से झूठे केस में जेल भिजवा देते हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अपनी तिजोरी के नीचे दबाकर रखना उनका 'शौक' है और इसमें स्थानीय पुलिस का सहयोग 'सराहनीय' है।

7. सबूतों का 'हवन' और 'महापुरुष' की उपाधिः

क्या फ़र्क पड़ता है यदि सेठ जी ने खनिज विभाग को करोड़ों रूपए के राजस्व का चूना लगाया? यह तो उनकी 'व्यापारिक कुशलता' का प्रतीक है। और भविष्य में कोई इस 'पुण्य कार्य' का सबूत मांगकर प्रशासन को परेशान न करे, इसलिए अपनी दूरदर्शी सोच का परिचय देते हुए उन्होंने बलरामपुर खनिज विभाग के अधिकारियों की 'पवित्र मिलीभगत' से जिला कार्यालय को ही आग के हवाले कर दिया। सरकारी फाइलों और सबूतों को अग्नि को समर्पित कर देना कोई साधारण अपराध नहीं, बल्कि एक 'यज्ञ' है। सबूत मिटाने की ऐसी अद्भुत क्षमता रखने वाले व्यक्ति को केवल 'पुरुष' कहना उनका अपमान है, वे तो वास्तव में 'महापुरुष' हैं।

8. रोज़गार सृजन का 'अद्वितीय मॉडल':

मेसर्स श्री विनोद अग्रवाल जी द्वारा संचालित सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा खनन संस्थान महामाया स्टोन क्रेशर सेठ जी के फरार होने के बाद सील कर दिया गया था। किंतु जिला कलेक्टर व खनिज विभाग के अधिकारियों की 'दूरगामी मेहरबानियों' का यह शानदार नतीजा है कि इसे पुनः सुचारू रूप से संचालन शुरू कर दिया गया है। इस 'रोज़गारपरक' और 'कानून-मुक्त' मॉडल को मद्देनजर रखते हुए, आपसे प्रार्थना है कि सरगुजा संभाग ही नहीं, वरन छत्तीसगढ़ के समस्त संभाग में इस प्रकार के क्रेशर खोलने की तत्काल अनुमति दी जाए ताकि हजारों युवाओं को 'नियम-मुक्त' रोज़गार मिल सके और माननीय प्रधानमंत्री जी के 'आत्मनिर्भर भारत' के सपने को साकार किया जा सके।

निष्कर्ष

महोदया, जिस व्यक्ति ने आदिवासियों की जमीन से लेकर खनिज विभाग के दफ्तर तक, और रोज़गार से लेकर कानून के शासन तक, हर जगह अपनी 'ताकत' की छाप छोड़ी है, ऐसे 'महापुरुष' विनोद अग्रवाल उर्फ मग्गू सेठ को कानून के दायरे में लाना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि बलरामपुर जिले में सेठ-राज्य बनाए रखने के लिए मग्गू सेठ और उनके भाई का बाल भी बांका न होने दिया जाए और शिकायतकर्ताओं को ही जेल भेजकर 'न्याय' की नई परिभाषा लिखी जाए।

अतः प्रार्थना है:

महोदया, उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए यह सिद्ध होता है कि "राजा राज करेगा और जुल्म बार-बार करेगा। " इसलिए, जनहित (यानी सेठ-हित) में आपसे अनुरोध है कि:

* राजस्व/खनिज/सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन समस्त कर्मचारियों को देश स्तरीय सम्मान दिया जाए और उनके वेतन में सौ प्रतिशत वृद्धि करते हुए उनके कृत्यों को बढ़ावा दिया जाए ताकि छत्तीसगढ़ ही नहीं वरन समूचा भारत देश उनकी सेवा से सीख ले सकें, और उनके मार्गदर्शन पर चल सके।

* राजपुर निवासी विनोद अग्रवाल उर्फ मग्गू सेठ और उनके भाई प्रवीण अग्रवाल के ऊपर लगे सभी आरोपों को तत्काल खारिज किया जाए।

* उल्टा, उन सभी कोरवा/पंडो/आदिवासियों और पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने सेठ जी के खिलाफ शिकायत करने की धृष्टता की है।

* उन पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए जो गलती से भी सेठ जी पर कार्यवाही करने की सोच रहे हैं, ताकि नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों की तिजोरियों में आने वाली 'आर्थिक सहायता' (सुविधा शुल्क) निर्बाध रूप से जारी रहे।

आशा है आप इस "व्यंग्यात्मक सत्य" को समझकर उचित कार्यवाही करेंगी।

संलग्न –

1. मेरे श्रोतों से प्राप्त कमला देवी पति रिझन जाति नगेशीया के नाम कई हेक्टेयर भूमि का विवरण (6 नग)
2. मेरे श्रोतों से प्राप्त श्री विनोद अग्रवाल उर्फ मग्गू सेठ के उपर आपराधिक रिकार्ड की सूची। (3 नग)

16/12/2025

भवदीय,

जितेन्द्र कुमार जायसवाल

खोजी / स्वतंत्र पत्रकार

निवासी - नेहरू नगर, डिगमा, अम्बिकापुर,

जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़) 497001

मो.– 0942426254?

ईमेल– bharatsamman@gmail.com

दिनांक 16/12/2025

प्रतिलिपिः -

1. श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार।

2. श्री अमित शाह जी, माननीय गृहमंत्री, भारत सरकार।

3. श्री विष्णु देव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन।

4. श्री विजय शर्मा जी, माननीय गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन।

5. माननीय पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ शासन।

6. राज्य आर्थिक अपराध नियंत्रण/अन्वेषण ब्यूरो रायपुर, छत्तीसगढ़।

7. माननीय कलेक्टर, जिला बलरामपुर।

8. माननीय पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर।

यह सारी जानकारी एक ही ग्राम की है।
ग्राम- मेस्की, बरीयों, राजपुर, बलरामपुर।

ांक	वर्तमान भूमिस्वामी का नाम	जाति	खसरा नं0	रकबा
1	जुबारों, लोंदरा वगैरह	कोरवा	17 / 2	0.259हे0
2	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	17 / 8	0.364हे0
3	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	17 / 9	0.364हे0
4	शंकर, ढ़ोला	गोंड़	17 / 10	0.364हे0
5	शिवबालक, देवशरण	चेरवा	17 / 11	0.534हे0
6	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	17 / 12	0.405हे0
7	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	17 / 14	1.125हे0
8	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	17 / 15	0.129हे0
9	सुलका, झउला	कोरवा	17 / 17	0.251हे0
10	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	17 / 18	0.384हे0
11	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	17 / 19	0.442हे0
12	शासकीय	—	17 / 20	0.640हे0
13	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	17 / 21	0.405हे0
14	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	17 / 22	0.121हे0
15	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	17 / 49	0.405हे0
16	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	17 / 50	0.898हे0
17	शासकीय	नगेसिया	17 / 51	0.008हे0
18	कनछेदी लाल, बाबूलाल	गोंड़	157 / 4	0.345हे0
19	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	157 / 5	0.841हे0
20	अनिल, कनछेदी लाल	गोंड़	157 / 6	0.660हे0
21	सरती, चरण वगैरह	कोरवा	157 / 7	0.778हे0

22	देवशरण, सुखदेव	कोरवा	157 / 8	0.506हे0
23	जोखन, लुरगी राम	कोरवा	157 / 9	0.325हे0
24	बृजमोहन	कोरवा	157 / 10	0.607हे0
25	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	157 / 12	1.357हे0
26	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	157 / 13	1.061हे0
27	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	157 / 14	0.607हे0
28	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	157 / 15	0.129हे0
29	रोन्हा, महतो	उरांव	157 / 16	0.240हे0
30	भजन, लुलका	उरांव	157 / 18	0.202हे0
31	भजन, लुलका	उरांव	157 / 19	0.263हे0
32	शासकीय	—	157 / 20	0.008हे0
33	शिवलाल वगैरह, देवचंद		157 / 21	0.202हे0
34	सुलका, झउला	कोरवा	157 / 26	0.202हे0
35	पौषण कुमार, कनछेदी लाल	गोंड़	157 / 31	0.321हे0
36	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	157 / 33	0.342हे0
37	जोखन, लुरगी राम		157 / 38	0.122हे0
38	लालसाय, हरीराम वगैरह	गोंड़	209 / 1	0.620हे0
39	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	226	0.494हे0
40	भिखारी, दसरू	गोंड़	227	0.178हे0
41	भिखारी, दसरू	गोंड़	228	0.154हे0
42	भिखारी, दसरू	गोंड़	229	0.081हे0
43	भिखारी, दसरू	गोंड़	230	0.020हे0
44	मोहरसाय, कंहटू	कोरवा	231	0.061हे0
45	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	232	0.081हे0
46	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	233	0.275हे0
47	शिवचरण, सुलका	गोंड़	234	0.287हे0
48	भिखारी, दसरू	गोंड़	235	0.206हे0
49	भखन, रामदुल	गोंड़	236	0.101हे0

50	दिलीप तिग्गा, समधीर साय	उरांव	237	0.547हे0
51	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	238	0.433हे0
52	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	239/1	0.224हे0
53	अशोक बघेल, हरिचरण	चेरवा	239/2	0.527हे0
54	शासकीय भूमि	—	240/1	0.202हे0
55	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	240/2	0.332हे0
56	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	240/3	0.089हे0
57	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	240/4	0.299हे0
58	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	240/5	0.216हे0
59	फूलसाय, भूलसाय		240/6	0.020हे0
60	केन्दी, खूनू	कोरवा	240/7	0.040हे0
61	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	240/8	0.114हे0
62	दिलीप, समहीर साय	उरांव	240/9	0.752हे0
63	जुबारों, लोंदरा वगैरह	कोरवा	240/10	1.259हे0
64	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	240/11	0.121हे0
65	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	240/12	0.121हे0
66	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	240/13	0.121हे0
67	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	240/14	0.210हे0
68	शासकीय	—	240/15	0.032हे0
69	शासकीय	—	240/16	0.012हे0
70	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	240/17	0.105हे0

71	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	240 / 18	0.206हे0
72	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	240 / 19	0.106हे0
73	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	240 / 20	0.114हे0
74	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	240 / 21	0.405हे0
75	जुबारों, लोंदरा वगैरह	कोरवा	241 / 1	0.172हे
76	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	241 / 2	0.049हे0
77	राजेन्द्र, विनोद	उरांव	242 / 1	0.150हे0
78	राजेन्द्र, विनोद	उरांव	242 / 2	0.321हे0
79	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	242 / 3	0.150हे0
80	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	242 / 4	0.322हे0
81	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	243	0.162हे0
82	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	244	0.101हे0
83	जुबारों, लोंदरा वगैरह	कोरवा	245	0.134हे0
84	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	246	0.049हे0
85	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	247	0.146हे0
86	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	278 / 2	0.930हे0
87	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	278 / 3	1.295हे0
88	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	278 / 4	0.825हे0
89	छेरतु, बैजनाथ वगैरह	उरांव	278 / 5	0.688हे0
90	छेरतु, बैजनाथ वगैरह	उरांव	278 / 6	0.894हे0
91	नान्हू, खोरा		287 / 4	0.138हे0
92	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	291	0.174हे0
93	शासकीय भूमि	नगेसिया	292 / 1	0.344हे0
94	नोहरसाय, कंहटू	कोरवा	292 / 2	0.606हे0
95	चमरा, रसोली	कोरवा	292 / 3	0.324हे0

(8)

96	चमरा, रसोली	कोरवा	292 / 4	0.162हे0
97	चमरा, रसोली	कोरवा	292 / 5	0.486हे0
98	चमरा, रसोली	कोरवा	292 / 6	0.202हे0
99	चमरा, रसोली	कोरवा	292 / 7	0.478हे0
100	जगरनाथ, देवचंद		292 / 8	0.243हे0
101	लघु, चुटरू	कोरवा	292 / 9	1.303हे0
102	लघु, चुटरू	कोरवा	292 / 10	0.243हे0
103	लघु, चुटरू	कोरवा	292 / 11	0.437हे0
104	रूपनी, छाधू	उरांव	292 / 12	1.[illegible]18हे0
105	राजेन्द्र, विनोद	उरांव	292 / 13	0.640हे0
106	भखल, रामदुल	गोंड़	292 / 14	0.081हे0
107	कैला, नन्दी	उरांव	292 / 15	0.636हे0
108	कुबेर, नानसाय वगैरह	गोंड़	292 / 16	0.520हे0
109	भिखारी, दसरू	गोंड़	292 / 17	2.023हे0
110	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	292 / 18	0.289हे0
111	भखन, रामदुल	गोंड़	294	0.198हे0
112	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	298 / 3	1.141हे0
113	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	298 / 4	0.194हे0
114	नोहरसाय, खटू	गोंड़	304	0.162हे0
115	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	305	0.045हे0
116	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	308 / 1	0.682हे0
117	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	308 / 2	1.200हे0
118	चमरा, रसोली	कोरवा	311	0.668हे0
119	शासकीय भूमि	—	312 / 1	1.372हे0
120	शासकीय भूमि	—	312 / 2	0.405हे0
121	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	313 / 1	0.422हे0
122	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	313 / 2	0.307हे0
123	कमला देवी, रीझन	नगेसिया	313 / 3	0.610हे0
124	मुटरू, रेंघा	कोरवा	313 / 4	0.550हे0
125	राम, रेंघा	कोरवा	313 / 5	0.474हे0
126	लक्ष्मी, रेंघा	कोरवा	313 / 6	0.344हे0
127	बैगा, केन्दू वगैरह	कोरवा	314 / 1	0.[illegible]21हे0
128	बैगा, केन्दू वगैरह	कोरवा	314 / 2	0.826हे0
129	बैगा, केन्दू वगैरह	कोरवा	315 / 1	0.151हे0

130	बैगा, केन्दू वगैरह	कोरवा	315/2	0.047हे0
131	बैगा, केन्दू वगैरह	कोरवा	316/1	0.080हे0
132	बैगा, केन्दू वगैरह	कोरवा	316/2	0.033हे0
133	बैगा, केन्दू वगैरह	कोरवा	317/1	0.150हे0
134	बैगा, केन्दू वगैरह	कोरवा	317/2	0.[illegible]20हे0
135	बैगा, केन्दू वगैरह	कोरवा	318/1	0.265हे0
136	चमरा, रसोली	कोरवा	318/2	0.882हे0
137	ओन्हारी, कुडियार	कोरवा	318/3	0.866हे0
138	सरती, चरका वगैरह	कोरवा	318/4	0.445हे0
139	सरती, चरका वगैरह	कोरवा	318/5	0.534हे0
140	सरती, चरका वगैरह	कोरवा	318/6	0.530हे0
141	ओन्हारी, कुडियार	कोरवा	318/7	1.497हे0
142	चमरा, रसोली	कोरवा	318/8	0.316हे0
143	ओन्हारी, कुडियार	कोरवा	318/9	0.304हे0
144	धरमसाय, जूठु	गोंड़	318/10	0.405हे0
145	बैगा, केन्दू वगैरह	कोरवा	318/11	0.403हे0
146	सनपतिया, खीरूराम		318/12	0.124हे0
147	बैगा, केन्दू वगैरह	कोरवा	318/13	0.258हे0
148	बैगा, केन्दू वगैरह	कोरवा	319	0.427हे0
149	बैगा, केन्दू वगैरह	कोरवा	320	0.097हे0
150	बैगा, केन्दू वगैरह	कोरवा	321	0.117हे0
151	बैगा, केन्दू वगैरह	कोरवा	322	0.016हे0
152	बैगा, केन्दू वगैरह	कोरवा	323	0.409हे0

श्री विनोद अग्रवाल उर्फ मग्गू सेठ पर कुल थाना राजपुर और चौकी बरियां में दर्ज आपराधिक रिकॉर्ड (विस्तार से)

● थाना राजपुर में दर्ज प्रकरण

1. अपराध क्रमांक 48/09 | दिनांक: 18/03/2009

धाराएँ:

147, 148, 149, 294, 506, 323

(बलवा, दंगा, गाली-गलौज, धमकी, और मारपीट)

2. अपराध क्रमांक 133/15 | दिनांक: 23/08/2015

धाराएँ:

365, 342, 294, 506, 323, 34

(अपहरण, अवैध निरुद्धीकरण, गाली-गलौज, धमकी, मारपीट)

3. अपराध क्रमांक 40/16 | दिनांक: 18/03/2016

धाराएँ:

294, 506, 323

(गाली-गलौज, धमकी, मारपीट)

4. अपराध क्रमांक 120/16 | दिनांक: 22/08/2016

धाराएँ:

294, 506, 323, 147, 149, 325

(गाली-गलौज, धमकी, मारपीट, बलवा, गंभीर चोट)

5. अपराध क्रमांक 24/01 | दिनांक: 07/01/2017

धाराएँ:

294, 506, 323, 451, 47, 34, 3(1)(ज) (एससी/एसटी एक्ट)

(गाली-गलौज, धमकी, मारपीट, घर में घुसपैठ, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार)

विशेष टिप्पणी:

इन मामलों में 5 प्रकरणों के साथ एक परिवीक्षाधीन कृत्य (107/116) भी दर्ज है, जो सामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर निगरानी हेतु लगाया गया था।

● चौकी बरियों में दर्ज प्रकरण

1. अपराध क्रमांक 07/20 | दिनांक: 28/08/2016
धाराएँ:
294, 506 (बी), 323, 147, 148, 149
(गाली-गलौज, धमकी, मारपीट, बलवा)

2. अपराध क्रमांक 32/18 | दिनांक: 20/02/2018
धाराएँ:
294, 506, 323, 34
(गाली-गलौज, धमकी, मारपीट)

3. अपराध क्रमांक 34/21 | दिनांक: 17/06/2020
धाराएँ:
287, 304(II), 34
(लापरवाही से मृत्यु, गैर-इरादतन हत्या)

4. अपराध क्रमांक 85/21 | दिनांक: 30/04/2021
धाराएँ:
294, 506, 323, 341, 342, 34
(गाली-गलौज, धमकी, मारपीट, रास्ता रोकना, अवैध निरुद्धीकरण)

कुल आपराधिक स्थिति (सारांश)

- चौकी बरियों में कुल प्रकरण: 4
- थाना राजपुर में कुल प्रकरण: 5 + 1 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही
- कुल आपराधिक इतिहास: 2009 से 2021 तक निरंतर

महत्वपूर्ण तथ्य

- 2020 के मामले में धारा 287 और 304(II) के तहत गंभीर आरोप हैं।
- 2017 में SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ।
- 2024 में पीड़ितों द्वारा पुनः शिकायत दर्ज कराई गई।
- कुछ मामलों में कोर्ट से राहत/समाधान का उल्लेख है, पर सभी मामलों का अंतिम निपटारा स्पष्ट नहीं।

नोट –

1. इस जानकारी के अतिरिक्त भी मग्गू सेठ के कई अपराधों की सूची मुझे अप्राप्त है।